(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

(vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

5. शारीरिक क्षमता :–

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली (परिशिष्ट 'क') में प्रकाशित है।

6. शुल्क :–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 15568, दिनांक 21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग–अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा 72nd CCE / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/FAO/अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी)के लिए परीक्षा शुल्क – Rs. 100/– (एक सौ रूपये) जमा किया जाना है।

नोटः– वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें **Biometric fee** के रूप में प्रत्येक परीक्षा (यथा 72nd CCE / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ FAO/ अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी) के लिए 200/– (दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1):–

(i) एकीकृत संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (UnAnswerd) प्रश्न पर नकारात्मक अंकण करते हुए $^{1}/_{3}$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $^{1}/_{3}$ (एक तिहाई) **Negative Marking** का प्रावधान है।

(iv) प्रारंभिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

(v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(vi) इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 962, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2):–

क्र॰ सं॰	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय/पूर्णांक/अवधि (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
01	72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	(i) सामान्य हिन्दी (01) – 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) – 300 अंक (03:00 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) – 300 अंक (03:00 घंटा) (iv) निबंध (38) – 300 अंक (03:00 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 02:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।	
			कृषि विज्ञान	04
			पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	05
			मानव विज्ञान	06
			वनस्पति विज्ञान	07
			रसायन विज्ञान	08
			सिविल इंजीनियरिंग	09
			वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
			अर्थशास्त्र	11
			विद्युत इंजीनियरिंग	12
			भूगोल	13
			भू–विज्ञान	14
			इतिहास	15
			श्रम एवं समाज कल्याण	16
			विधि	17
			प्रबन्ध	18
			गणित	19
			यांत्रिक इंजीनियरिंग	20
			दर्शन शास्त्र	21
			भौतिकी	22
			राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
			मनोविज्ञान	24
			लोक प्रशासन	25
			समाज शास्त्र	26
			सांख्यिकी	27
			प्राणी विज्ञान	28
			हिन्दी भाषा और साहित्य	29
			अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
			उर्दू भाषा और साहित्य	31
			बंगला भाषा और साहित्य	32
			संस्कृत भाषा और साहित्य	33
			फारसी भाषा और साहित्य	34
			अरबी भाषा और साहित्य	35
			पाली भाषा और साहित्य	36
			मैथिली भाषा और साहित्य	37

क्र॰ सं॰	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय/पूर्णांक/अवधि (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
02	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	(i) सामान्य हिन्दी (01) – 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) – 300 अंक (03:00 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) – 300 अंक (03:00 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।	
			गृह विज्ञान	39
			मनोविज्ञान	40
			समाजशास्त्र	41
			श्रम एवं समाज कल्याण	42
03	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष (वित्त विभाग)	(i) सामान्य हिन्दी (01) – 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) – 300 अंक (03:00 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) – 300 अंक (03:00 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।	
			वाणिज्य	43
			अर्थशास्त्र	44
			गणित	45
			सांख्यिकी	46
04	अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	(i) सामान्य हिन्दी (01) – 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) – 300 अंक (03:00 घंटा) (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) – 300 अंक (03:00 घंटा)	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।	
			मनोविज्ञान	53
			विधि	54

टिप्पणी :–

- प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वहीं होगे, जो 72वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गये वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

(i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

(ii) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंगेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

(iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।

(iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 962, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त

(दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

(v) मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।

III. व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-3) :–

(i) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।

(ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

सेवा/पद अधिमानता (Service/Post Choice) का चुनाव :–

मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा/पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य परीक्षणः–

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात् सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रू॰ (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

(i) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

मेधा सूचीः–

(i) एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र – 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र– 300 अंक, निबन्ध–300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल – 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।

(ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र – 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र– 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय–300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल– 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।

(iii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधाक्रम निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।

(iv) अन्य सेवाओं के लिए अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा तथा वैकल्पिक विषय में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।

(v) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।

(vi) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।

8. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

9. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबावदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

10. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते है। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

परिशिष्ट "क"
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली

[यह विनियमावली, जो पुरूष और महिला दोनों उम्मीदवारों पर लागू होती है, उनकी सुविधा के लिये और इसलिये प्रकाशित की जाती है, ताकि वे यह अभिनिश्चित कर सकें कि वे अपेक्षित शरीरिक मानक में आ सकते हैं या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से जान लिया जाय कि राज्य सरकार को इस बात के लिये पूर्ण विवेक (डिस्क्रीशन) प्राप्त है कि वह ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य समझकर रद्द कर दे, जिसे वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य समझती हो तथा इस संबंध में राज्य सरकार का स्वविवेक किसी भी हालत में इस विनियमावली द्वारा सीमित नहीं होगी। इस विनियमावली का एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षक का मार्ग दर्शन करना है, न कि राज्य सरकार के विवेक को किसी प्रकार प्रतिबंधित करना। जब कभी किसी महिला उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा की जायेगी, तब मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में एक महिला डॉक्टर सहयोजित कर दी जायेगी।]

(टिप्पणी–इसमें पुल्लिंग शब्दों के प्रसंगानुसार स्त्रीलिंग का भी बोध होगा)

01. किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के वास्ते योग्य करार दिया जाय, इसके लिए आवश्यक है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें ऐसी कोई शारिरिक त्रुटि न हो, जिससे उसके अपने पदीय कर्तव्यों के कुशल सम्पादन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

	बिना जूते की ऊँचाई	पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप	पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप
21 वर्ष और उससे अधिक	62½ इंच और 65 इंच से कम	30 इंच	32 इंच
	65 इंच और 68 इंच से कम	31 इंच	33 इंच
	68 इंच और 70 इंच से कम	32 इंच	34 इंच
	70 इंच और 72 इंच से कम	33 इंच	35¼ इंच
	72 इंच और उससे अधिक	34 इंच	36½ इंच

02. उम्मीदवारों की परीक्षा करते समय मेडिकल बोर्ड; उम्र, ऊँचाई और छाती की चौड़ाई की निम्न सह–संबंद्ध तालिका का अनुसरण करेगा, किन्तु आदिवासी या अर्द्ध–आदिवासी उम्मीदवारों की दशा में उनके सामान्य निम्न स्तर के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह मेडिकल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह निम्न स्तर के स्वास्थ्य वाले उम्मीदवार को योग्य करार दे या नहीं।

03. **ऊँचाई–उम्मीदवार की ऊँचाई की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:–**
वह अपने जूते को खोलकर और पांवों को सटाकर एड़ी के बल पर, न कि अपने पैरों की ऊंगलियों या अपने पांवों को दूसरी तरफ बल देकर मानदंड के सामने खड़ा हो जायेगा। वह बिना तने ही सीधा खड़ा रहेगा और उसकी एड़ियाँ, पिंडलियाँ, नितम्ब और कंधे मानदंड से सटे होंगे तथा ठुड्डी को इतना भर झुका दिया जायेगा कि सिर का ऊपरी भाग अनुप्रस्थ–पट्टी (हॉरिजेन्टल बार) से नीचे आ जाय। ऊँचाई इंच में अभिलिखित की जायेगी तथा इंच का भिन्नांक चौथाई इंच माना जायेगा।

04. **छाती–उम्मीदवार की छाती की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:–**
उम्मीदवार अपने पांवों को सटाकर खड़ा हो जायेगा और उसकी दोनों बाहें, उसके सिर से ऊपर उठी रहेंगी। फीते को छाती के चारों ओर इस तरह लगाया जायेगा कि फीते का ऊपरी किनारा उसकी कांख के नीचे स्पर्श करे। इसके बाद दोनों बाहों को सामान्य रूप से नीचे लटकने दिया जायेगा और इस बात पर ध्यान रहे कि कंधे ऊपर–नीचे न हों, क्योंकि ऐसा करने से फीता इधर–उधर हो जायेगा। तत्पश्चात्, उम्मीदवार को अनेक बार जोर से सांस लेने के लिये कहा जायेगा और तब छाती के अधिकतम फैलाव को सावधानी से नोट कर लिया आयेगा। छाती के न्यूनतम और अधिकतम फैलाव की माप इंच में अभिलिखित की जायेगी, जैसे–33"–35," 34"–36") आदि। "(माप करते समय)" से कम के भिन्नांक को नहीं लिखा जायेगा।

05. वज़न–उम्मीदवार का वजन कर किलोग्राम में अभिलिखित किया जायेगा। किलोग्राम का भिन्नांक नहीं लिखा जायेगा।

06. **दृष्टिशक्ति**–उम्मीदवार की दृष्टिशक्ति की जाँच निम्नांकित नियमों के अनुसार की जायेगी। हरेक जाँच का परिणाम अभिलिखित किया जायेगाः–

(i) सामान्य–उम्मीदवार की आँखों में कोई रोग और असामान्यता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिये उसकी आँखों की सामान्य जाँच की जायेगी। यदि आँखें या पलकों में ऐसा कोई भेंगापन या विकृति हो या उसकी ऐसी बनावट हो, जिसके चलते वह सेवा के लिये अयोग्य हो या भविष्य में अयोग्य हो जा सकता है, तो ऐसा उम्मीदवार सेवा के लिये अयोग्य माना जायेगा।

(ii) दृष्टि–तीक्ष्णता–

(क) दृष्टि की तीक्ष्णता के निर्धारण के लिये दो प्रकार की जाँच की जाती है, एक दूर दृष्टि और दूसरी निकट दृष्टि की। प्रत्येक आँख की जाँच अलग–अलग की जायेगी। दूर दृष्टि के लिये सेलेन जाँच–टाइप 20 फीट की दूरी पर, बिना चश्मा के, की जायेगी और निकट दृष्टि के लिये बिना चश्मा के उतनी दूरी से जाँच की जायेगी, जो उम्मीदवार पसंद करे।

(ख) कोर्निया की हल्की–फुल्की (नेबुला ऑफ कोर्निया) के चलते दोषयुक्त दृष्टि वाले उम्मीदवार को छाँट दिया जायेगा।

(ग) दोषयुक्त वर्ण–बोध (डिफेक्टिव कलर विजन) के कारण उम्मीदवार को छांटा तो नहीं जायेगा, किन्तु कार्यवाही में इस बात का उल्लेख कर दिया जायेगा।

(घ) प्रत्येक आँख के लिये एक दृष्टि क्षेत्र की अनिवार्यतः जाँच होनी चाहिये, जो कि हस्त–संचालन के जरिये की जाय।

(ङ) जिस उम्मीदवार की दृष्टि तीक्ष्णता नीचे दिये गये स्तर से कम हो, उसे नहीं लिया जायेगा–

	अच्छी आँख	खराब आँख
चश्मा रहित दूर दृष्टि	6/24*	6/24
चश्मा लगाने पर दूर दृष्टि	6/6	6/12
व्यक्त दीर्घदृष्टि (मैनिफेस्ट हाइपरमेंट्रोपिया)	1.5	1.5
चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि	0.8	1

*यह अस्थायी रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

(च) नियुक्ति के लिये सभी उम्मीदवारों की दृष्टि की तीक्ष्णता निम्न प्रकार कार्यवाहियों में दर्ज की जायेगीः–

दायीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।

बांयीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।

(छ) गम्भीर असामान्यता की दशा में नेत्र–रोग विशेषज्ञ की राय ले ली जाय।

टिप्पणीः– ऐसे किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति न की जायेगी, जिसकी दृष्टि संस्पर्श चश्मा (कन्टैक्ट ग्लासेज) के लगाये बिना उपर्युक्त अपेक्षाओं से कम होगी (संस्पर्श चश्मा या लेंस एक ऐसा चश्मा है, जिसकी अब तक (कानकेबिटी) और आँख के गोले के साथ सम्पर्क रहता है और लेंस तथा कोर्निया के बीच तरल की एक परत लगी रहती है। जहाँ कहीं भी चश्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे यह नहीं समझा जायेगा कि उसके अंतर्गत संस्पर्श–चश्मा भी आता है)। इसके प्रयोजनार्थ आँख की दृष्टि सुधारने के लिए संस्पर्श–चश्में को भी साधारण चश्मा समझा जायेगा।

(ज) पास्टिरियर स्टेफिलोमा के साथ निकट दृष्टि वालों (माइयोपियन) को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि किसी भी आँख की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) (–) 2.5 डी० से अधिक न हो और रंजित पटल (कार्याड) या रेटिना में विकारी परिवर्तन न हो।

(झ) पच्चीस वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी किसी भी आँख या दोनों आँखों की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) (–) 3.5 डी० से अधिक न हो और उसकी प्रत्येक आँख की दृष्टि सुधार कर 6/6 कर दी गयी हो।

(ञ) दीर्घ दृष्टि (हाइपरमेट्रोपिया) वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी दृष्टि तीक्ष्णता निम्न प्रकार होः–

	अच्छी आँख	खराब आँख
चश्मा लगाने पर	दृष्टि 6/6	दृष्टि 6/9

07. पेशाब की जाँच परीक्षक के सामने कराकर की जायेगी और उसके परिणाम को अनुबद्ध फॉरम में दर्ज कर दिया जायेगा।

08. निम्न अतिरिक्त बातों पर भी ध्यान रखा जायेगाः–

(क) कि उम्मीदवार अपने दोनों कान से अच्छी तरह सुन लेता है और उसे कान का कोई रोग नहीं हैं; जो उम्मीदवार परीक्षक की ओर पीठ करके 10 फीट की दूरी पर सामान्य से थोड़ी ऊँची आवाज से बोलने पर सुन ले, उसे योग्य समझा जायेगा। उसके प्रत्येक कान की जाँच अलग–अलग की जायेगी और प्रत्येक कान को बारी–बारी से तेल में भिंगोई रूई से बन्द करके जाँच की जायेगी;

(ख) कि उसकी बोली में हकलाहट नहीं है;

(ग) कि उसके दाँत अच्छी हालत में है और अच्छी तरह चबाने के लिए आवश्यकतानुसार नकली दाँत भी लगे हुए हैं (गठे हुए दाँत अच्छे दाँत समझे जायेंगे);

(घ) कि उसकी छाती की बनावट अच्छी है और उसका विस्तार पर्याप्त है तथा उसका हृदय और फेफड़ा अच्छी हालत में है;

(ङ) कि उदर रोग का कोई लक्षण नहीं है;

(च) कि उसे किसी प्रकार का आँत रोग (हर्निया) नहीं है;

(छ) कि उसका फोता इतना बढ़ा हुआ नहीं है कि जिससे वह अपने कर्तव्य को सम्पादन करने में असमर्थ हो तथा उसे गंभीर बेरिकोसिल, बेरिकोजवेंस या बवासीर या स्क्रोटल ट्यूमर नहीं है;

(ज) कि उसके अवयव (लिम्ब्स), हाथ, पांव की रचना पुष्ट और विकसित है तथा उसके सभी जोड़ों का संचालन ठीक–ठीक आसानी से होता है;

(झ) उसे कोई जीर्ण और पुराना चर्म रोग नहीं है;

(ञ) कि उसमें कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है;

(ट) कि उसमें किसी नये या पुराने रोग का कोई ऐसा लक्षण नहीं है, जिससे कि उसके शारीरिक अंग पर किसी विकृति का संकेत मिलता हो;

(ठ) कि उसने टीका लगाये जाने का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है; तथा

(ड) कि वह संचारी रोगों से मुक्त है।